बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0................/2021

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग/दृष्टिबाधित परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, विद्यालय प्रधान, केन्द्राधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए आवश्यक सूचना :

एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग/दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, संबंधित विद्यालय के प्रधान, परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग/दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को समुचित साक्ष्य के आधार पर समिति की नियमावली–1964 की अध्याय IV की कंडिका–21 एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक–F.NO 34-02/2015-DD III, दिनांक 29.01.2018 द्वारा वर्णित प्रावधान के आलोक में दिव्यांग/दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जानी आवश्यक है :–

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2 (r) के अतंर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में लेखक (Writer) की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

(ii) दिव्यांग परीक्षार्थियों को देश के किसी भी स्थल के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iii) माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा में लेखक (Writer) हेतु स्वयं लेखक (Writer) लाने का विकल्प रहेगा, साथ ही जिला स्तर पर भी दिव्यांगता की अलग–अलग कोटि के अनुरूप लेखक (Writer) का पैनल बनाया जायेगा और दिव्यांग परीक्षार्थियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें लेखक (Writer) उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(iv) दिव्यांगजनो को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह लिखने में शारीरिक रूप से असमर्थ है तथा परीक्षा में लेखन हेतु उसे लेखक (Writer) की आवश्यकता है। उक्त प्रमाण पत्र का प्रपत्र APPENDIX-I के रूप में निम्नांकित है :–

APPENDIX-I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ....(name of the candidate with disability), a person with .... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o .... a resident of .... (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a

Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place :

Date :

Note ;

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor Disability – Orthopaedic specialist/PMR)

(P.T.O)

Newspaper C1_21_10

(v) माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के लिए लेखक (Writer) की योग्यता नन–मैट्रिक स्तर की होगी। यदि परीक्षार्थी स्वयं अपना लेखक (Writer) लाते हैं, तो उन्हें निम्नांकित APPENDIX-II में दिये गये प्रपत्र में UNDERTAKING देना होगा तथा उल्लेख करना होगा कि लेखक (Writer) की योग्यता परीक्षार्थी के योग्यता से एक STEP न्यून है अर्थात् नन–मैट्रिक स्तर का है।

APPENDIX-II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I.........., a candidate with .... (name of the disability) appearing for the .... (name of the examination) bearing Roll Code................, Roll No........... at ....(name of the centre) in the District.......... (name of the State). My qualification is........,

I do hereby state that...... (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is .... in case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(signature of the candidate with Disablity)

Place:

Date:

(vi) जिला पैनल से लेखक (Writer) प्राप्त करने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा के 02 (दो) दिन पूर्व लेखक (Writer) से मिलने की अनुमति होगी ताकि परीक्षार्थी को लेखक (Writer) की उपयुक्तता जानने का अवसर प्राप्त हो सके।

(vii) आकस्मिकता की स्थिति में लेखक (Writer) को बदलने की सुविधा होगी। भाषा एवं साहित्य विषयों के लिए अलग–अलग छात्रों की परीक्षा हेतु एक से अधिक लेखक (Writer) रखने की अनुमति होगी, किन्तु प्रति विषय एक ही राईटर रखने की अनुमति होगी।

(viii) लेखक (Writer) की सुविधा लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त समय देय होगा।

(ix) दिव्यांग परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु परीक्षा में उनके बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से भूतल (Ground Floor) पर की जायेगी एवं तदनुसार ही परीक्षा में बैठने की योजना (Seating Plan) तैयार की जायेगी।

2. संबंधित विद्यालय के प्रधान अपने विद्यालय के उक्त कोटि के परीक्षार्थियों की विवरणी (साक्ष्य सहित) **दिनांक 05.02.2021 तक** अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों के लिए लेखक (Writer) एवं अन्य की व्यवस्था ससमय की जा सके एवं इसकी सूचना संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को भी देकर उक्त के आलोक में ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराया जा सके।

3. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले सभी दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के विज्ञान विषय के बदले संगीत एवं गणित विषय के बदले गृह विज्ञान की परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं विषय कोड निम्नवत् हैः–

परीक्षा की तिथि / दिन	प्रथम पाली	विषय कोड	विषय
17.02.2021 (बुधवार)	09:30 पूर्वाह्न से 12:15 अपराह्न	125	संगीत (सैद्धान्तिक)–70 अंक
18.02.2021 (गुरूवार)	09:30 पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न	126	गृह विज्ञान–100 अंक

(P.T.O)

4. **अंकनीय है कि सभी दृष्टिबाधित परीक्षार्थी उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रथम पाली में ही अपने विज्ञान के बदले संगीत एवं गणित के बदले गृह विज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तद्नुसार ही ऐसे सभी छात्र/छात्राओं का प्रवेश पत्र भी निर्गत किया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं को उक्त दोनों विषय (संगीत एवं गृह विज्ञान) के अतिरिक्त शेष विषयों की परीक्षा हेतु द्वितीय पाली में सम्मिलित होना है, उनके प्रवेश पत्र में भी इस संदर्भ में उक्त दोनों विषय की परीक्षा निर्धारित तिथि को प्रथम पाली में ही देने हेतु स्पष्ट रूप से अंकित है।**

5. वर्णित आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग/दृष्टिबाधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, संबंधित विद्यालय प्रधान एवं परीक्षा केन्द्राधीक्षक को निदेशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

6. इस परिदृश्य में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग/दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए विद्यालय प्रधान/परीक्षा केन्द्राधीक्षक/परीक्षार्थी के अधियाचना/सूचना के आधार पर वर्णित आलोक में परीक्षा पूर्व लेखक एवं अन्य व्यवस्था संबंधी आवश्यक कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

7. ध्यातव्य हो कि कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है। इसलिए कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी प्रकार के आवश्यक ऐहतियाती कार्रवाई करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्रा एवं परीक्षा कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर सोशल डिस्टेन्सिंग का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में ज्ञापांक–के० 1695, दिनांक 29.12.2020 द्वारा निर्गत परीक्षा संचालन निर्देशिका की कंडिका–88 में भी विस्तृत निदेश निर्गत है।

01.02.2021

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)–923/19 वि. 110/पटना, दिनांक : 01 / 02 /2021

प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 डाटासॉफ्ट कम्प्यूटर सर्विस प्रा0 लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. महासचिव, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, बिहार शाखा, फ्लैट नं०–405, चतुर्थ तल, मोकामा हाउस, जनककिशोर रोड, साहित्य सम्मेलन, कदम कुआँ, पटना–800003 को उनके पत्रांक–Ref No-NFB/COE/BSEB/451, दिनांक 18.01.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. महासचिव, बिहार नेत्रहीन परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7. उप निदेशक, आई०टी०/सिस्टम एनालिस्ट (मा०) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षकों, सभी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, परीक्षा कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी तथा सभी परीक्षार्थी के जानकारी एवं इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई हेतु इस विज्ञप्ति की प्रति समिति के निर्दिष्ट BSEB Mobile App एवं परीक्षा कार्य हेतु निर्मित व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाय।

8. अध्यक्ष/सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) को सूचनार्थ प्रेषित।

01.02.2021

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

1/2/2021

Newspaper C1_21_12